न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कासेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 85/2019 (अपील)

1. श्री परमानन्द पुत्र स्व. श्री नाथूलाल जाति भोई
2. मधु पत्नि श्री परमानन्द जाति भोई निवासीगण – भोई मोहल्ला, वैष्णों देवी मन्दिर के पास, सरकारी नल के पास, कोटडी, कोटा

––अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमति छोटी बाई पत्नि स्व. नाथूलाल जाति भोई निवासी–भोई मोहल्ला, कोटडी, कोटा थाना गुमानपुरा, कोटा (राज0)

   द्वितीय पता–किराये से कुन्हाडी, कोटा (राज) थाना कुन्हाडी, कोटा राज0

–––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22.08.2019 उपखण्ड अधिकारी कोटा, प्र0सं. 11/2019. अर्न्तगत धारा 16 माता पिता और वृद्व नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

निर्णय

दिनांक:– 20 /11/2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, द्वारा दिनांक 22.08.2019 को आदेश पारित किया कि–"अप्रार्थीगण प्रार्थीया की सम्पत्ति/मकान में निवास नहीं करें तथा मकान मे से अपना सामान निकालकर खाली करें । प्रकरण में थानाधिकारी गुमानपुरा को अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने हेतु लिखा जावें ।"
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 03.10.2019 को पेश कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 में वर्णित धारा 4 के अधीन भरण पोषण का यह आवेदन प्रारूप 'क' में धारा 5 की उप धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में अभिकथित रीति से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो पेश किया गया था और ना ही प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सत्यापन किया गया था । इस कारण रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत उक्त नियम के विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के आधार पर ही मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्तनीय था, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जांच एवं विचारण के अनुक्रम में रेस्पोडेंट

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

एवं अपीलार्थी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को रिकार्ड पर लिए बिना ही यंत्रवतरूप से निर्णय एवं आदेश जेर अपील पारित किया गया जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर प्राकृतिक–न्याय के सिद्वान्तों की अनदेखी करते हुए अपीलार्थीगण के पक्ष एवं प्रतिरक्षा को समझे बिना ही एकपक्षीय रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेंट के पक्ष में किसी भी प्रकार की साक्ष्य इस प्रकृति की नहीं है कि वह एक वरिष्ठ नागरिक है एवं इस अधिनियम के तहत आक्षेपित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित करने में गम्भीर विधिक त्रुटि कारित की ई है इसलिए आक्षेपित आदेश /निर्णय निरस्त करने योग्य है । अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2019 दिनांक 22.8.2019 को पारित निर्णय को अपास्त करने की कृपा करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया । वकील अपीलान्ट उपस्थित । रेस्पोडेन्ट एवं वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 में वर्णित धारा 4 के अधीन भरण पोषण का यह आवेदन प्रारूप 'क' में धारा 5 की उप धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में अभिकथित रीति से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो पेश किया गया था और ना ही प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सत्यापन किया गया था । इस कारण रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत उक्त नियम के विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के आधार पर ही मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्तनीय था, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जांच एवं विचारण के अनुक्रम में रेस्पोडेंट एवं अपीलार्थी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को रिकार्ड पर लिए बिना ही यंत्रवतरूप से निर्णय एवं आदेश जेर अपील पारित किया गया जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर प्राकृतिक–न्याय के सिद्वान्तों की अनदेखी करते हुए अपीलार्थीगण के पक्ष एवं प्रतिरक्षा को समझे बिना ही एकपक्षीय रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेंट के पक्ष में किसी भी प्रकार की साक्ष्य इस प्रकृति की नहीं है कि वह एक वरिष्ठ नागरिक है एवं इस अधिनियम के तहत आक्षेपित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित करने में गम्भीर विधिक त्रुटि कारित की ई है इसलिए आक्षेपित आदेश /निर्णय निरस्त करने योग्य है । अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2019 दिनांक 22.8.2019 को पारित निर्णय को अपास्त करने की कृपा करें । वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के पक्ष में न्यायिक दृष्टान्त में (1) राजस्थान राजपत्र जून 18, 2010, 55(29) एवं (2) दी मेंटेनेंस एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 पेश किये ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

5. रेस्पोडेन्ट स्वयं को सुना गया एवं वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट 80 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक विधवा महिला है एवं वर्तमान में वह अपने बड़े बेटे के साथ रहती है । कच्ची बस्ती कोटड़ी स्थित मकान जो रेस्पोडेन्ट के पति नाथूलाल के नाम है तथा उक्त मकान की वसीयत नाथूलालजी द्वारा अपनी पत्नि रेस्पोडेन्ट छोटी के नाम दिनांक 24.6.1992 को की हुई है, जिसका उसे मालीकाना हक प्राप्त है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा उसके साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा अमर्यादित, अशोभनीय एवं कूरतापूर्ण व्यवहार करते है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह सही है, उसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया । यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 22.8.2019 के विरूद्व पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर सुनवाई की जाकर अपीलाधीन आदेश से रेस्पोडेन्ट के नाम कोटड़ी गुमानपुरा कोटा स्थित मकान से बेदखली के आदेश दिये है, चूंकि मकान रेस्पोडेन्ट छोटी बाई के नाम है । वकील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व ऐसा कोई ठोस तथ्य पेश नहीं किया है जिस आधार पर अपील स्वीकार की जा सकें । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.8.2019 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.8.2019 यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक **20.11.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner